कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

2008-2009

निदेशालय

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक
विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन
2008–09

निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

NUEPA DC
DC109

373.954406
RAJ-08 PA

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. DC-109
Date: 9-2-2010
Documentation Centre

प्रा क्क थ न

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रति वर्ष की भांति 2008–2009 का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति एंव विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है । केन्द्र सरकार की सहायता से भी राज्य में शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं की जानकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गयी है ।

आशा है विभागीय गतिविधियों का यह प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा योजनाकारों, शोधकर्ताओं एंव शैक्षिक प्रशासन में अभिरूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों एंव संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

(भास्कर ए. सावंत)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान.
बीकानेर

स्थान : बीकानेर
दिनांक : 13 अक्टूबर 2009

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य परिचय	01
2.	प्रशासनिक स्वरूप	02-03
3.	शैक्षिक प्रगति	04
4.	बालिका शिक्षा	04-06
5.	विभिन्न योजनाएं	06-09
6.	शारीरिक शिक्षा एंव सहशैक्षिक प्रवृत्तियां	10
7.	आय व्यय	10
8.	पेंशन स्थिरीकरण	11
9.	न्यायिक प्रकरण	11
10.	जांच प्रकरण	12
11.	सतर्कता	12
12.	विभागीय चयन समिति	13
13.	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	14
14.	हितकारी निधि	14
15.	छात्रवृतियां	15
16.	गैर राजकीय संस्थाओं को अनुदान	16
17.	शिक्षक दिवस समारोह	16
18.	पुस्तकालय (समाज शिक्षा)	16
19.	शिक्षक प्रशिक्षण	16
20.	विभागीय प्रकाशन	17
21.	भाषायी अल्पसंख्यक	17
22.	कम्प्यूटरीकरण	18
23.	विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण	18
24.	शिक्षा की प्रगति से संबंधित सारणियां	19

प्रकाशन से सम्बद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी

सांख्यिकी अनुभाग

1. डॉ. सतीश कुमार	उपनिदेशक (सांख्यिकी)
2. श्री रमेश कुमार व्यास	सांख्यिकी सहायक
3. श्री ओमप्रकाश पुरी	संगणक
4. श्री कन्हैयालाल किराडू	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

कम्प्यूटर अनुभाग

1. श्री ए. मुखर्जी	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर
2. श्री रूपकुमार शर्मा	वरिष्ठ लिपिक

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 2008–2009

(1) सामान्य परिचय

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई। शिक्षा को सुव्यवस्थित संचालन के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर की स्थापना की गई। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पृथकीकरण किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28–11–1997 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग अलग गठन किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पृथक विभागाध्यक्ष, आई.ए.एस. बनाये गये एंव 01–01–1998 से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अधीन पृथक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीकानेर मुख्यालय पर कार्य प्रारंभ कर दिया।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राज्य की समस्त प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, के अधीन राज्य की समस्त माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण एंव प्रशासन हैं । निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के नेतृत्व में निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी तथा प्रत्येक मंडल स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक) व प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शैक्षिक प्रबंध व प्रशासन का दायित्व निभाते है ।

राजस्थान राज्य में आलौच्य वर्ष में कुल 33 जिले है, जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 5.65 करोड हैं । इनमें 2.94 करोड पुरूष एंव 2.71 करोड महिलाऐं हैं। वर्तमान में राज्य स्तर पर जनसंख्या धनत्व 165 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हैं ।

2001 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एंव उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत 61.03 है, जिसमें पुरूषों का 76.46 एंव महिलाऐं 44.34 प्रतिशत हैं । 2001 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 55.92 प्रतिशत हैं । जिसमें 72.96 प्रतिशत पुरूष एंव 37.74 प्रतिशत महिलाऐं है । राजस्थान के शहरी क्षैत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 76.89 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष 78.50 एंव महिला 65.42 प्रतिशत साक्षर है। राज्य में वर्ष 1951 में साक्षरता दर 8.50 थी जो 2001 में बढकर 61.03 प्रतिशत हो गई इस प्रकार साक्षरता दर में सात गुणा से अधिक बढोतरी हुई है ।

(2) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रशासनिक स्वरूप

2.1 निदेशालय स्तर

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय पर वर्ष 2008–2009 में प्रशासनिक स्वरूप निम्न प्रकार से हैः–

1.	निदेशक, आई.ए.एस.	01
2.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) आर.ए.एस.	01
3.	मुख्यलेखाधिकारी	01
4.	संयुक्त निदेशक	03
5.	उपनिदेशक	05
6.	जिला शिक्षा अधिकारी	03
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01
8.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर	01
9.	लेखाधिकारी	02
10.	सहायक निदेशक	09
11.	सहायक लेखाधिकारी	08
12.	स्टाफ आफिसर	01
13.	सहायक विधि परामर्शदाता	01
14.	निजी सचिव	01

2.2 मंडल स्तर

माध्यमिक शिक्षा के कार्य एंव प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मंडल कार्यालय कार्यरत हैं । वे है :– 1. बीकानेर (मुख्यालय चूरू) 2. जोधपुर 3. जयपुर 4. अजमेर 5. उदयपुर 6. कोटा 7. भरतपुर । इनके अधीनस्थ अपने परिक्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक बालक, बालिकाऐं शिक्षण संस्थाऐं हैं । मंडल कार्यालय तथा उनके अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयों का विवरण इस प्रकार हैं :–

मंडल का नाम	अधीनस्थ जिशिअ (माध्यमिक) कार्यालय
1. बीकानेर–चूरू मंडल	बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ, झुंझुंनू
2. जोधपुर मंडल	जोधपुर, जैसलमैर, बाडमेर, पाली, जालौर, सिरोही
3. उदयपुर मंडल	उदयपुर–प्रथम एवं द्वितीय, डूंगरपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, राजसमंद, प्रतापगढ़
4. कोटा मंडल	कोटा, बून्दी, झालावाड, बारां, करौली, सवाईमाधोपुर
5. अजमेर मंडल	अजमेर–प्रथम एवं द्वितीय, भीलवाडा–प्रथम एवं द्वितीय, नागौर–प्रथम एवं द्वितीय, टौंक
6. जयपुर मंडल	जयपुर– प्रथम एवं द्वितीय, अलवर– प्रथम एवं द्वितीय, दौसा, भरतपुर– प्रथम एवं द्वितीय, सीकर– प्रथम एवं द्वितीय, धौलपुर
7. भरतपुर मंडल	करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर–प्रथम/द्वितीय, धौलपुर

2.3 जिला स्तरीय प्रशासन

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन मंडल स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक) तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हैं । राज्य में 41 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय कार्यरत है । जिन 08 जिलों में माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है, उन जिलों में दो दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय हैं । जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने क्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक स्तर की बालक/बालिका विद्यालयों का नियंत्रण एंव प्रशासन की देख रेख करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कुल 41 पद है, इनमें से जिला अजमेर, नागौर, भीलवाडा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर में दो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम एंव द्वितीय के अलग अलग संचालित हैं। शेष 25 जिलों में प्रत्येक में एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित हैं ।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का मुख्य कार्य जिले की अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक शिक्षण संस्थानों से सम्पर्क बनाये रखना, निरीक्षण करना उनसे सूचनाएं एकत्रित कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार, निदेशालय, क्षैत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना हैं । शैक्षिक संस्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाये रखने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का ही हैं । इनके कार्य की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एंव उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं ।

माध्यमिक शिक्षा विभाग का संगठनात्मक ढांचा

↓

शिक्षा मंत्री

↓

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

↓

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा

↓

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

↓

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान | **राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय**

↓

उपनिदेशक (संभाग स्तर)

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (जिला स्तर)

↓

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

(3) शैक्षिक प्रगति– माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक

3.1 राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अथक सुनियोजित प्रयासो के परिणामों से शिक्षा और साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है । राज्य की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत थी जो बढकर वर्ष 2001 में 61.03 प्रतिशत हो गई हैं। भारत वर्ष का साक्षरता प्रतिशत 65.38 है ।

3.2 राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एंव विस्तार हुआ है। राज्य में वर्ष 2008–09 में संदर्भ तिथि 30–9–2008 के आधार पर राजकीय एंव गैर राजकीय 11606 (11125 छात्र एंव 481 छात्रा) माध्यमिक विद्यालय तथा 5996 सीनियर माध्यमिक विद्यालय (5328 छात्र एंव 668 छात्रा) संचालित है । प्रबंधानुसार 6096 राजकीय, 23 सहायता प्राप्त, 5487 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है । इसी प्रकार 3102 राजकीय, 185 सहायता प्राप्त, 2709 असहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं ।

3.3 माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 18,15,259 है इनमें से 11,49,123 छात्र एंव 6,66,136 छात्रा हैं। सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 23,44,225 है। इनमे से 15,09,352 छात्र एंव 8,34,873 छात्रा है ।

3.4 वर्ष 2008–09 में 3118 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में तथा 20 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए गए।

(4) बालिका शिक्षा

4.1 राज्य में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा के विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिनके फलस्वरूप बालिका शिक्षा की अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है । सन् 1951 में राज्य मे महिलाओं की साक्षरता मात्र 2.51 प्रतिशत थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढकर 44.34 प्रतिशत हो गयी हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 37.74 है, जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 65.42 है । इस प्रकार गत दशक की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत वृद्धि तीन गुणा से ज्यादा हुई है ।

4.2 कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को शिक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है ।

4.3 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई तथा कक्षा 9 से 12 तक अनुसूचित जाति/ जनजाति एंव अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर बालिकाओं हेतु बुक–बैंक योजना प्रारंभ की गई ।

4.4 राजस्थान में 30–9–2008 की संदर्भ तिथि को बालिका शिक्षा के कुल 481 माध्यमिक विद्यालय है, जिनमें राजकीय 389, सहायता प्राप्त 10 एवं असहायता प्राप्त 82 विद्यालय हैं । इसी प्रकार 668 बालिका सीनियर

माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमे से 523 राजकीय 55 सहायता प्राप्त, 90 असहायता प्राप्त विद्यालय हैं। राज्य में वर्ष 2008–09 में बालिका नामांकन स्तरानुसार (कक्षा 9 से 12) कुल 15,01,009 रहा ।

4.5 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. की 91,000 सीटों में 20 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उक्त आरक्षण के अतिरिक्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 31,200 सीटों पर केवल महिलाओं को प्रवेश दिया जाकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

4.6 *बालिका छात्रावास :-*

राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधाएें उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग के सभी 6 संभागीय मुख्यालयों पर 50–50 की क्षमता के बालिका छात्रावास निर्मित है एंव 31 जिला मुख्यालयों पर बालिका छात्राावास स्थित है ।

4.7 *गार्गी पुरस्कार योजना :-*

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाओं को 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 1000/– की दर से प्रोत्साहन राशि देने की गार्गी पुरस्कार योजना सत्र 1997–98 से प्रारंभ की गयी । इस योजना के तहत सत्र 2008–09 में राज्य में 13,318 बालिकाओं को कुल 1.73 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया गया है ।

4.8 *बालिका शिक्षा फाउण्डेशन :-*

राज्य में बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना वर्ष 1994–95 में की गई है । इस फाउण्डेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एंव तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

4.9 *ट्रांसपोर्ट–वाऊचर स्कीम :-*

ग्रामीण क्षैत्र में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राएं जिनके निवास से विद्यालय 5 कि.मी. से ज्यादा दूर स्थित है एवं परिवहन निगम की बसों का आवागमन नहीं है, इन्हें प्रति विद्यालय–दिवस के हिसाब से 5 रुपये का ट्रांसपोर्ट–वाऊचर स्कीम प्रारम्भ की गई। वर्ष 2008–09 में 187.42 लाख रुपये व्यय किये गये।

4.10 *साईकिल वितरण :-*

ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 10 एंव 11 में अध्ययनरत 25,655 छात्राओं को साईकिल वितरण हेतु 508.34 लाख रुपये व्यय किये। छात्राएं जिनके निवास स्थान

से विद्यालय की दूरी 2 कि.मी. से अधिक किन्तु 5 कि.मी. से कम है, उन छात्राओं को 300 रुपये जमा करवाने पर यह सुविधा दी गई ।

4.11 *कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय :–*

इन विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्राऐं जो कक्षा 8, 10 एवं 12 में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एफ.डी.आर. दी गई है । वर्ष में 558 छात्राओं को एफ.डी.आर. देने में 11.16 लाख रुपये व्यय किये गये ।

(5) विभिन्न योजनाएं/कार्य

5.1 **निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण**

राजकीय माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत समस्त वर्ग की छात्राओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र एंव शेष वर्ग के छात्रों को (बिना आयकरदाता के अभिभावक के बालको को) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वर्ष 2008–09 में वितरित की गई। इस हेतु 13.50 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को प्रदान किये गये।

5.2 **विद्यालय क्रमोन्नति**

राजकीय विद्यालय क्रमोन्नति के अन्तर्गत इस वर्ष में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर पर 3118 एवं राजकीय माध्यमिक स्तर से राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर में 20 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया।

5.3 **विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना**

विद्यार्थियो की आत्म सुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना 1996 से प्रारंभ की गयी। वर्ष 2000 सें राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना की प्रीमियम को दुगुना करने का निर्णय लिया ताकि विद्यार्थी को मुआवजे की राशि 10 हजार रूपये के स्थान पर 20 हजार प्राप्त हो सके। छात्र–छात्राओं के लिए सामुहिक–बीमा जारी करने के लिए प्रति छात्र 10 रुपये व प्रति छात्रा 5 रुपये वसूल कर वर्ष 2008–09 के प्रिमियम भुगतान हेतु 96..00 लाख रूपये का भुगतान राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को किया गया ।

5.4 **बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन योजना**

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 व 11 में 70 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा/छात्राओं के लिए अक्टुम्बर, 08 से दिसम्बर, 2008 तक विशेष शैक्षिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की गयी। इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यालय से चयनित छात्रा/छात्राओं के

लिए शीतकालीन अवकाश के समय 07 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष कोचिंग शिविर लगाये गये !

5.5 **आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई.**

केन्द्रीय प्रवृर्तित योजना के अंतर्गत दो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर तथा अजमेर में संचालित है। 09 कॉलेज ऑफ टीचर एज्यूकेशन (सी.टी.ई.) क्रमशः जोधपुर, डबोक (उदयपुर), हटुन्डी (अजमेर), बग्गड (झुंझुंनू), संगरिया (हनुमानगढ), भुसावर (भरतपुर) उदयपुर सरदारशहर एंव जामडोली (जयपुर) में संचालित हैं ।

5.6 **अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रो को प्रतिभा विकास योजना**

यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत वर्ष 87.88 से चालू है । उच्च शिक्षा की आंकाक्षा रखने वाले माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को प्रातः एंव सांयकालीन विशेष कक्षाऐं लगाई जाकर पांच विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । यह योजना राज्य के 03 विद्यालयों में संचालित है। ये तीन विद्यालय है:-

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदडा, अजमेर
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा
3. रा. गुरू गोंविद सिंह उ.मा.वि., उदयपुर

इन तीन विद्यालयों को अलग अलग जिले आवंटित है । वर्ष 2008-09 में तोपदडा, अजमेर में 32 कोटा में 26 तथा उदयपुर में 34 छात्रो को लाभन्वित किया गया ।

5.7 **राष्ट्रीय सेवा योजना**

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत 10 जमा दो स्तर के विद्यालयों में वर्ष 1990 से यह योजना आरंभ की गई । यह योजना वर्तमान में 740 चयनित सीनियर माध्यमिक विद्यालयो में संचालित है। इस योजनान्तर्गत विशेष शिविर एंव एक एक दिवसीय शिविर के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित और विशेष कार्यक्रमों के मुख्यतः चार पक्ष है :-

1. **संस्थागत कार्य**

बाहरी कल्याणकारी संगठनों के साथ स्वंय सेवक के रूप में जुड़कर कार्य करना ।

2. **संस्थागत परियोजना**

विद्यालय व परिसर में सुधार लाना ।

3. **ग्रामीण परियोजना**

निरक्षरता का उन्मुलन करना, बचत के लिए प्रेरित करना, सड़को का सुधार व निर्माण, सफाई, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण एंव समाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना ।

4. **शहरी परियोजनाऐं**

साक्षरता का प्रचार–प्रसार, गन्दी बस्तिओं में सफाई, अस्पताल में सेवा कार्य, उपभोक्ता संरक्षण कानून का प्रचार करना एंव अल्प बचत को बढावा ।

5. **बजट**

उक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु योजना मद में 102.04 लाख रूपये एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में 142.86 लाख रूपये व्यय किये गये ।

5.8 **संत्राक**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अर्द्व वार्षिक परीक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के उदेश्य से कक्षा 10 व 12 के लिए सत्र 95–96 से संत्राक योजना लागू की गई । इस योजना के तहत उक्त कक्षाओं के छात्रों को अर्द्व वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांको के 10 प्रतिशत अंक बोर्ड की परीक्षा में शामिल किये जाते है । उक्त योजना को इस सत्र मे और अधिक प्रभावी बनाया गया । इसके अंतर्गत वर्ष 2008–09 में 20 प्रतिशत अंक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किये गये, जिससे बोर्ड के परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम के प्रतिशत में वृद्वि हुई है ।

5.9 **विद्यालय निरीक्षण**

विद्यालयों के सुसंचालन एंव शैक्षिक कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु विद्यालयों का सतत मूल्यांकन एंव मार्गदर्शन आवश्यक है । इस हेतु विभाग द्वारा सत्र के आरंभ से ही सधन निरीक्षण के प्रयास किये गये जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है । सत्र 2008–09 में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मंडल अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा 6397 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है जिसमें बोर्ड परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण भी सम्मिलित है ।

5.10 **भामाशाह सम्मान योजना**

भामाशाह योजना विभाग द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई। इस योजनान्तर्गत दानदाताओं से शाला के विकास हेतु योगदान प्राप्त करना तथा शाला परिवार से जुडकर निर्माण हेतु अभिप्रेरित करना है। विभिन्न दानदाताओं (भामाशाहो) द्वारा वर्ष 2008–09 में 13 मावि/उमावि. भवनों को दान में एंव राज्याधीन लिया गया जिनकी कुल लागत 259.99 लाख रुपये हैं।

5.11 **गार्गी पुरस्कार योजना**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की माध्यमिक/प्रवेशिका (दसवीं) परीक्षा में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं को दो वर्ष तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है । यह राशि कक्षा 11–12 से नियमित अध्ययन हेतु 1500 रुपये प्रति वर्ष की दर से वर्तमान में दी जा रही है । "गार्गी पुरस्कार" योजना सत्र 1997–98 में प्रारंभ की गई । इस वर्ष 13,318 छात्राऐं लाभान्वित हुई । इन्हे 1.73 करोड़ रुपये वितरित किये गये ।

5.12 **आश्रितों को नियुक्ति**

वर्ष 2008–09 में मृत राज्य कर्मचारियों के 340 आश्रितों को नियुक्तियों की गई जिनमें से 236 कनिष्ट लिपिक व 104 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई ।

5.13 **12वॉं वित्त आयोग**

12वें वित्त आयोग के अंतर्गत 558.45 लाख रुपये के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये । राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि की स्वीकृति सीधे ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के नाम जारी की गयी । इनके द्वारा ये राशि व्यय की गयी ।

5.14 **भवन मरम्मत**

वर्ष 2008–09 में भवन मरम्मत कार्य हेतु 80 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। जिसमें 48 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय/ कार्यालय भवन मरम्मत के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

5.15 **नाबार्ड योजना**

नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 2765.46 लाख रुपयों का आंवटन किया गया। जिसमें से वर्ष 2007–08 के अधुरे कार्यों पर 471.63 लाख रुपये तथा वर्ष 2008–09 हेतु 168.07 लाख रुपये व्यय किये गये।

5.16 **कार्मिको को पुरस्कार**

वर्ष 2008–09 में मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 20 कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

5.17 **विद्यालयों में कम्प्यूटर**

इन्फोरमेंशन एवं कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी योजना के तहत 2500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर कम्प्यूटर सैट उपलब्ध करवाये गये ।

(6) *शारीरिक शिक्षा एवं सह–शैक्षिक प्रवृतियां*

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताऐं आयोजित होती है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकरी (माध्यमिक) के तत्वाधान में एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के तत्वाधान में आयोजित करवाई जाती है ।

सत्र 2008–09 में आयोजित 54वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गयी। जिसमें माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्राप्त पदों का विवरण निम्नाकिंत है:–

क्र. सं.	खेल	आयु वर्ग 19 वर्ष छात्र	पदक			कुल
			स्वर्ण	रजत	कास्य	
1	एथेलेटिक्स	17 वर्ष छात्र, 19 वर्ष छात्र छात्रा	01 -	-- --	-- 02	01 02
2	जिमनास्टिक	17 वर्ष छात्र–छात्रा	02	01	02	05
3	जुड़ो	17 वर्ष छात्र एवं छात्रा 19 वर्ष छात्र एवं छात्रा	01 --	-- 01	03 02	04 03
4	तैराकी	17 वर्ष छात्रा	--	01	02	03
5	तींरदाजी	19 वर्ष छात्र	--	01	02	03
6	सॉफ्टबॉल	19 वर्ष छात्रा	01	--	--	01
7	वॉलीबाल	17 वर्ष छात्रा	--	01	--	01
8	कुश्ती	17 वर्ष छात्र 19 वर्ष छात्रा	-- --	-- 01	02 --	02 01

(7) *आय व्यय*

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का वर्ष 2008–09 का वित्तीय प्रगति विवरण निम्न प्रकार है:–

वित्तीय प्रगति वर्ष 2008–09

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय व्ययक अनुमान 08–09	संशोधित अनुमान 08–09	व्यय
आयोजना मद				
1.	माध्यमिक शिक्षा सैक्टर	17051.72	6569.54	6418.87
2.	कम्प्यूटराईजेशन	50.00	0.01	0.00
3.	नाबार्ड	3000.00	350.00	655.00
4.	शारीरिक शिक्षा सैक्टर	15.00	3.50	5.27
केन्द्र प्रवर्तित योजना				
1.	माध्यमिक शिक्षा	3032.42	2722.63	1578.43

(8) पेंशन प्रकरण

वर्ष 2008–09 को निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्नांकित हैः–

क्र. सं.	विवरण	04/08 को बकाया	04/08 से 03/09 तक प्राप्त	योग	08–09 में निर्णित	शेष प्रकरण
1	पेंशन प्रकरण	426	2877	3303	2368	935
2	पेंशन अदालत	06	00	06	00	06
3	स्थिरीकरण प्रकरण	00	4068	4068	4068	00

(9) न्यायालय प्रकरण

अधिकारियों, शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है। न्यायालय में दायर वादों को निपटाने के लिये निदेशालय स्तर पर गठित विधि अनुभाग द्वारा राज्य सरकार की मदद से त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2008–09 में प्राप्त वाद एवं निपटाये गये वाद की स्थिति निम्न हैः–

न्यायिक प्रकरणो की प्रगति स्थिति की सूचना

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 2008 तक बकाया प्रकरण	4/2008 से 3/2009 तक नवीन प्राप्त प्रकरण	4/2008 से 3/2009 तक निर्णित प्रकरण	3/2009 को विचाराधीन प्रकरण
उच्चतम न्यायालय	49	03	02	50
उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर	3850	144	205	3789
सिविल सेवा अपील अधिकरण	1072	54	45	1081
राज. शैक्षिक अधिकरण (गैर सरकारी संस्थाऐं)	643	26	23	646
अधिनस्थ न्यायालय	644	46	16	674
योग	**6258**	**273**	**291**	**6240**

(10) जांच प्रकरण

(अ) विभागीय जांच प्रकरण

प्रकरण	01–4–08 को बकाया प्रकरण	अप्रेल ,08 से मार्च,09 तक प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष 08–09 को निर्णित प्रकरण	विचाराधीन प्रकरण
सी.सी.ए.–16	340	92	432	95	337
सी.सी.ए.–17	809	524	1333	654	679
निलम्बन	67	57	1172	45	79
प्राथमिक जांच	956	216	124	322	850

(ब) आंतरिक जांच दल

आंतरिक जांच दलो द्वारा विद्यालयों एंव कार्यालयों की समय समय पर विशेष जांच कार्य सम्पन्न किया एंव आडिट प्रतिवेदनों की अनुपालना करने हेतु निदेशालय स्तर से बकाया प्रकरणों को निपटाने का विशेष अभियान चलाया गया जिसके अर्न्तगत जिलेवार केम्प कर आक्षेपों का निस्तारण किया गया। 2917 ऑडिट प्रकरणों के बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया।

(स) ए.जी. ऑडिट

वर्ष में निस्तारण प्रकरणो की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष के प्रारंभ में प्रकरण		04/08 से 31/09 में निस्तारित		03/09 में शेष	
निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप	निरीक्षण प्रतिवेदन	आक्षेप
774	1702	373	828	401	874

(11) सतर्कता

विभाग द्वारा वर्ष के दौरान परिवादों के निस्तारण का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	परिवाद विवरण	बकाया	नये प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
1	आर.पी.जी. (पंजीकृत)	10	14	24	10	14
2	लोकायुक्त	23	45	68	43	25
3	ए.सी.बी.	66	25	91	00	91
4	मुख्य मंत्री कार्यालय	00	21	21	07	14
5	सूचना का अधिकार	182	608	790	538	252

(12) विभागीय पदोन्नति समिति

विभाग में अब तक सम्पादित एवं बकाया डीपीसी की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	संवर्ग	डी.पी.सी. वर्ष
1	अतिरिक्त निदेशक	2008-09
2	संयुक्त निदेशक / समकक्ष	2008-09
3	उपनिदेशक / समकक्ष	2008-09
4	जि.शि.अ. / समकक्ष	2008-09
5	प्रधानाचार्य / समकक्ष	2001 - 02
6	वरि.उप जि.शि.अ./समकक्ष	1999 - 00
7	उप जि.शि.अ. (शारीरिक शिक्षक)	2007-08
8	प्रधानाध्यापक	2002 - 03
9.	व्याख्याता	

	व्याख्याता विषय	पुरूष	महिला
1	हिन्दी	2000-01	2002-03
2	अंग्रेजी	2000-01	2001-02
3	संस्कृत	2001-02	2002-03
4	ऊर्दू	2004-05	2003-04
5	सिन्धी	2004-05	2001-02
6	पंजाबी	2002-03	1998-99
7	राजस्थानी	2004-05	2001-02
8	समाज शास्त्र	2003-04	2003-04
9	इतिहास	2004-05	2002-03
10	राजनीति शास्त्र	2001-02	2003-04
11	भूगोल	2002-03	2001-02
12	अर्थशास्त्र (रिव्यू)	2001-02	2002-03
13	लोक प्रशासन	2005-06	
14	शारीरिक शिक्षक	2002-03	2003-04
15	गृह विज्ञान		2000-01
16	पुस्तकालयाध्यक्ष	2002-03	
17	एस.डी.आई.	1997-98	1997-98
18	भौतिक	2002-03	2000-01
19	रसायन	2002-03	2001-02
20	गणित	2001-02	1997-98
21	जीव विज्ञान	1999-2000	1995-96
22	वाणिज्य	2001-02	2002-03
23	चित्रकला	1990-91	1990-91
24	संगीत	1996-97	1996-97
25	कृषि	1980-81	

(12) (ब) वरिष्ठता

वर्ष में छूटे गये कार्मिकों में 172 का नामांकन किया गया । 166 की योग्यता/अभिवृद्धि अंकित की गई । 95 कार्मिकों की वरिष्ठता में संशोधन तथा 144 के नाम विलोपित किये गये ।

(13) राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष डा. राधाकृष्ण के जन्म दिवस 05 सितम्बर से झंडियों की बिक्री का शुभारंभ कर शिक्षकों की सहायतार्थ राशि एकत्रित करता है । इस राशि से शिक्षकों के निधन पर रूपये 5000 व व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षक के पुत्र/पुत्री को अध्ययनार्थ प्रतिवर्ष 15000 रूपये की आर्थिक सहायता देता है। वर्ष 2008-09 में दी गई सहायता का विवरण निम्न प्रकार से है :-

विवरण	राशी	प्रकरण
1. शिक्षको के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता	4,75,000	95

(14) हितकारी निधि

इस योजना का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा गठित समिति द्वारा निदेशक महोदय की अध्यक्षता में ही किया जाता है । राज्य कर्मचारियों से वार्षिक अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से जिसका भुगतान जनवरी माह में किया जाता है, लिये जाने का प्रावधान है । प्राप्त राशि से ही राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों तथा स्वंय की बीमारी पर कर्मचारियों एंव परिवार के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी पर सहायता दी जाती है । प्राप्त अंशदान के आधार पर ही सहायता राशि में बढोतरी भी होती रहती हैं । इस योजना में कर्मचारी के निधन पर रूपये 7000/- तथा बीमारी पर 5000/- रू. व दुर्धटना में मृत्यु पर 10,000/- रू. की सहायता दी जाती है । वर्ष 2008-09 में निम्न प्रकार सहायता दी गई :-

1. कर्मचारियों के निधन पर आश्रितों को सहायता	159 प्रकरण	10,97,200
2. बीमारी पर सहायता	25 प्रकरण	1,20,800
3. व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सहायता	26	50,000

15. छात्रवृति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में व्यय राशि एंव लाभान्वित विद्यार्थियो का विवरण निम्न है :–

छात्रवृति योजना नाम	व्यय (लाखो में)	लाभान्विति की संख्या
1. अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	791.16	2,57,069
2. अनु. जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	597.70	2,45,082
3. अनु. जाति उत्तर मॅट्रिक छात्रवृति	720.26	79,216
4. अनु. जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	602.89	69,476
5. अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के बच्चो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	51.95	4,757
6. पूर्व सैनिको की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति	0.74	65
7. अत्यन्त निर्धनता छात्रवृति योजना	0.05	45
8. मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को	0.03	24
9. कारगिल युद्ध मे शहीद सैनिकों के बच्चो को छात्रवृति	5.04	280
10. अन्य पिछड़ी जाति के बच्चो को पूर्व मैट्रिक	101.71	57,369
12. 1.4.99 से पूर्व हुए शहीद के बच्चें को छात्रवृति	1.64	91

(16) गैर राजकीय संस्थाओं को अनुदान

अनुदान प्राप्त संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों एंव अनुदान प्रतिशत के आधार पर बजट अनुमान प्रस्तावित किया जाता है इस अनुमान में वेतन भत्तो, कार्यालय एंव अन्य व्यय की गणना की जाती है । वर्ष 2008–09 में आयोजना भिन्न मद में विभिन्न संस्थाओं का अनुदान दिया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	संस्था स्तर	व्यय राशि (लाखों में)
1.	माध्यमिक विद्यालय	3375.00
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	
3.	छात्रावास	
4.	केन्द्रीय कार्यालय	
5.	शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय	73.33

(17) शिक्षक दिवस समारोह

05 सितम्बर, 2008 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षैत्रो में कार्यरत शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका एंव विशिष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया । वर्ष 2008 में 60 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया । यह पुरस्कार महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा 15 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

(18) पुस्तकालय (समाज शिक्षा)

केन्द्रीय क्रय योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में विद्यालयी पुस्तकालयों हेतु आयुक्तालय स्तर पर गठित समिति द्वारा 6.81 लाख रूपये की पुस्तकों का चयन किया गया एंव शिक्षा मंत्री स्वविवेक कोष के अंतर्गत पुस्तके क्रय की जाकर 170 विद्यालयों को कुल 17,500 पुस्तकें निःशुल्क प्रेषित की गई ।

(19) शिक्षक प्रशिक्षण

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करवाने हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए राजस्थान में कुल 790 राजकीय/गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। जिनमें केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा नौ शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है । इनमें स्नातकों व अधिस्नातकों को प्री.बी.एड. टेस्ट में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाता है । इसमें प्रशिक्षण की अवधि एक शिक्षण सत्र की होती है। इनमें सह–शिक्षा व्यवस्था है। महिलाओं एंव पुरूषो के लिए पृथक–पृथक महाविद्यालय भी है ।

91,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में सीटो का आवंटन किया गया है ।

शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम

राज्य में शारीरिक शिक्षा के क्षैत्र में सत्र 2002–03 में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है । सत्र 2008–09 में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से चालू सत्र हेतु 880 सीटों पर प्रवेश दिया गया । राज्य में राजकीय क्षैत्र में केवल एक तथा 11 गैर राजकीय क्षैत्र में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय संचालित हो रहे है ।

(20) विभागीय प्रकाशन

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन विभाग की ओर से सम्पूर्ण शिक्षा जगत को जानकारी देने एंव शिक्षा निर्णायक मुद्दो पर विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रतिमाह शिविरा पत्रिका प्रकाशित की जाती है। शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 47वां वर्ष हैं। शिविरा को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशो में भी अपनी विशिष्ठ पहचान है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या लगभग 25,000 है। शिक्षक दिवस प्रकाशन योजनार्न्तगत निम्न पॉच पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

क्र.सं.	विषय	पुस्तक का नाम
1	हिन्दी विविधा	जीवन के कितने पास
2	कविता	मन के उन्मेष
3	राजस्थानी विविधा	समैरी सुरणाई
4	शिक्षा साहित्य	शैक्षिक प्रवाह
5	बाल साहित्य	फूल माटी के रंग आसमान के

इसके अलावा "नया–शिक्षक" त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या 15,000 है ।

(21) भाषायी अल्पसंख्यक

भारतीय संविधान की धारा 350(क) के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का स्पष्ट प्रावधान है । राजस्थान में उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंव गुजराती इन चारों अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है ।

राज्य की माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक स्तर पर इच्छुक छात्रों को उनकी अल्पभाषा तृतीय भाषा, ऐच्छिक विषय पढने की सुविधा प्रदान की गयी हैं। इन विद्यालयों में एक कक्षा में अल्पभाषी छात्रों की संख्या 15 या पूरे विद्यालय में 60 छात्र अल्पभाषा अध्ययन करना चाहते है, तो यह सुविधा प्रदान करायी जावेगी ।

राज्य में भाषायी अल्प संख्यक भाषाओं के अध्ययन हेतु निम्न राजकीय विद्यालय संचालित हैः–

विद्यालय	भाषायी अल्प संख्यक भाषाओं के संचालित विद्यालयों की संख्या			
	उर्दू	सिंधी	गुजराती	पंजाबी
माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	363	25	10	64

(22) *कम्प्यूटरीकरण*

एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, मंडल स्तर एवं निदेशालय स्तर पर व्यापक कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट का अद्यतन उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है । बजट आवंटन का कार्य कम्प्यूटरीकृत है । डी.ई.एस. प्रपत्र, कर्मचारी गणना एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की स्टेट रिपोर्ट का कार्य सम्पादित किया गया है ।

(23) *विशिष्ठ शैक्षिक अभिकरण*

शिक्षा के क्षैत्र में विकास के लिए निम्नलिखित विशिष्ठ संस्थान भी कार्यरत है:–

1. **माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर**
2. **राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर**
3. **संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर**
4. **राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर**
5. **बालिका शिक्षा फाऊण्डेशन, जयपुर**
6. **भारत स्काउट एवं गाइड, जयपुर**
7. **छः अकादमियां :–**
   1. राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर
   2. राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर
   3. राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर
   4. राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर
   5. राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
   6. राजस्थान भाषा, साहित्य एंव संस्कृति अकादमी बीकानेर
8. **भाषा एंव पुस्तकालय विभाग, जयपुर**

शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकाएं वर्ष 2008–09

सारणी संख्या–1 (30–9–2008)

राज्य में प्रबन्धानुसार शिक्षण संस्थाएं :–

प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			सीनियर माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	5707	389	6096	2579	523	3102
अनुदान प्राप्त	13	10	23	130	55	185
असहायता प्राप्त	5405	82	5487	2619	90	2709
योग	**11125**	**481**	**11606**	**5328**	**668**	**5996**

सारणी संख्या–2 (30–9–2008)

राज्य में प्रबन्धानुसार नामांकन :–

प्रबन्ध	माध्यमिक शिक्षा			सीनियर माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	506947	355232	862179	733251	442313	1175564
अनुदान प्राप्त	1933	2275	4208	66849	47016	113865
असहायता प्राप्त	640243	308629	948872	709252	345544	1054796
योग	**1149123**	**666136**	**1815259**	**1509352**	**834873**	**2344225**

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. DC-109
Date 9-2-2010
Documentation Centre

सारणी संख्या–3 (30–9–2008)

राज्य में प्रबन्धानुसार अध्यापकः–

प्रबन्ध	माध्यमिक शिक्षा			सीनियर माध्यमिक शिक्षा		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
राजकीय	20318	4302	24620	29635	9259	38894
अनुदान प्राप्त	52	90	142	1921	1610	3531
असहायता प्राप्त	39928	16359	56287	27881	12384	40265
योग	**60298**	**20751**	**81049**	**59437**	**23253**	**82690**

NUEPA DC
DC109